फा.सं.एफ.1/15(10)/2024-भ-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती III अनुभाग

पद का नाम	अंडमान महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में **सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य सामान्य)** के पद की **02 (दो)** रिक्ति (अ.पि.व.-01, अना.-01)।
विज्ञापन सं.	07/2024
रिक्ति सं.	24040717313

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त रिक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार(रों) / कारण(णों) बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **21.09.2024** तक **sort3.upsc@nic.in** पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के पश्चात प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघुसूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तथापि, इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता और अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। अभ्यावेदन देने के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें पद का नाम, फाइल संख्या, रिक्ति संख्या और अनुक्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। उक्त में से किसी भी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक:** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से वाणिज्य में 55 % अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री। 2. यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षण (एनईटी) (वाणिज्य) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित एसएलईटी/एसईटी (राज्य स्तर पात्रता परीक्षण) जैसी समान परीक्षण उत्तीर्ण किया हो अथवा (एम.फिल/पीएच.डी डिग्री की उपाधि प्रदान करने की न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) यूजीसी विनियम, 2009 या 2016 और उनमें समय-समय पर किए गए

संशोधन के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पीएच.डी डिग्री (अर्थशास्त्र में) की उपाधि प्रदान की गई, उन्हें एनईटी / एसएलईटी / एसईटी से छूट दी जा सकती है।

बशर्ते, 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार, डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:-

क) उम्मीदवार को पीएच.डी की डिग्री नियमित माध्यम से प्रदान की गई हो;

ख) पीएच.डी थीसिस का मूल्यांकन बाहर के कम-से-कम दो परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

ग) उम्मीदवार की खुली (ओपन) पीएच.डी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिनमें से कम-से-कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए;

ङ) उम्मीदवार ने यूजीसी/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित, सम्मेलन/सेमिनार में अपने पीएच.डी कार्य पर आधारित कम-से-कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हो।

संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त (क) से (ङ) तक की शर्तें पूरी की जा रही हैं।

अथवा

किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में पीएच.डी डिग्री

नोट-1: ऐसे विषयों में मास्टर प्रोग्राम के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए यूजीसी/सीआईएसआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी आयोजित नहीं किया जाता है या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित एसएलईटी/एसईटी जैसा समान परीक्षण का भी आयोजन नहीं किया जाता है।

नोट-2: अ.पि.व. श्रेणी (नॉन क्रीमीलेयर) से संबंधित उम्मीदवारों को पात्रता के प्रयोजन से स्नातक और मास्टर स्तर पर 5 % की छूट दी जाएगी। उपर्युक्त श्रेणी के लिए पात्रता अंकों के 55 % अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है, वहां

	प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और 5 % की छूट तभी अनुमत होगी जब अर्हता अंकों में कोई ग्रेस अंक प्रक्रियाएं शामिल नहीं हुई हों। **<u>(ख) अनुभव:</u>** **शून्य**

अपनाए गए मापदंड	i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में भरी गई सूचना और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। ii) आवेदनों की संवीक्षा, पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। iii) अध्यापन अनुभव को लागू किया गया है और तदनुसार केवल उन्ही उम्मीदवारों पर विचार किया गया है जिन्होंने ओआरए में अध्यापन अनुभव में 06 महीने या उससे अधिक का दावा किया है। iv) संवीक्षा हेतु केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/ अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीद्वारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी सूचना का दावा किया है जो उनकी अ.यो-क और अध्यापन अनुभव के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। v) आगंतुक/अतिथि संकाय, प्रति घंटा आधार पर, अंश-कालिक आधार पर, प्रशिक्षण आदि के रूप में प्राप्त अध्यापन अनुभव को संगत नहीं माना गया है। vi) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र संख्या एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर अपेक्षित

	सूचना उनके पास उपलब्ध होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। vii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र और उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र पर अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और इन्हें 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार जिन उम्मीदवारों ने संगत अनुभव का दावा किया है परंतु इस संबंध में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई संपूर्ण अवधि के नहीं हैं या किए गए दावे का समर्थन नहीं करते, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है जिसके अनुभव प्रमाण-पत्र में अपेक्षित/संगत अनुभव का उल्लेख किया गया है। ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा

01 अ.पि.व. की रिक्ति

मानदंड: **[अ.यो-क (1)** + **अ.यो.-क (2)**] + **6 माह या उससे अधिक का अध्यापन में अनुभव**

<u>साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु</u>:

अनुक्रमांक

099**^** 101^ 104* 116 129^ 136*'' 137^

143^@ 145^

(**09 उम्मीदवार**)

^ आरएयूवी के रूप में अनुशंसित किए जाने हेतु पात्र

* केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रारूप में नवीनतम/अद्यतन अ.पि.व. प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

" जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में Xवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र तथा आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर, यदि उसमें कोई अंतर है तो इस संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

@ विभिन्न प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों में आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

<u>अस्वीकृत:</u>

<u>एलईसी</u>

<u>अनुक्रमांक:-</u>

090 087 091 95/96$ 100 103
105 109 131 146

(10 उम्मीदवार)

$ ओआरए में, यूजीसी – एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं करने के कारण समामेलित तथा अपूर्ण भी।

<u>अपूर्ण</u>

कारण	अनुक्रमांक
ओआरए में मास्टर डिग्री की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गईं।	102, 126
ओआरए में यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गईं।	098, 117, 134, 138

(**06 उम्मीदवार**)

01 अना. रिक्ति

मानदंड: **[अ.यो-क (1)+ अ.यो.-क (2)] + 6 माह या उससे अधिक का अध्यापन में अनुभव**

<u>क्रीमी लेयर में शामिल होने का दावा करने के आधार पर अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार पर सामान्य श्रेणी के रूप में विचार किया गया।</u>

<u>**साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:**</u>

अनुक्रमांक

083@

(0**1 उम्मीदवार**)

@ विभिन्न प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों में आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

अपूर्ण

कारण	अनुक्रमांक
मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र की प्रति।	82
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना।	
विभिन्न प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों में आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर हेतु शपथ-पत्र।	
1. अनुभव प्रमाण-पत्र में किया गया अंश-कालिक अनुभव का दावा तदर्थ अनुभव के दावे से मेल नहीं खाता। 2. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में Xवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र तथा आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर, यदि उसमें कोई अंतर है तो इस संबंध में शपथ-पत्र।	79

(02 उम्मीदवार)

अना. उम्मीदवार

साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए

अनुक्रमांक

002	009	032	044@	052
054''@	059	073@	075	

(09 उम्मीदवार)

" जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में Xवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र तथा आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर, यदि उसमें कोई अंतर है तो इस संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

@ विभिन्न प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों में आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनंतिम।

अस्वीकृत

एलईक्यू क (2)

अनुक्रमांक

024 062

(02 उम्मीदवार)

एलईसी

<u>अनुक्रमांक</u>

011 013 019 020 029 047 057 070 078

(09 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण</u>

कारण	**अनुक्रमांक**
ओआरए में यूजीसी-नेट प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गईं	045
विभिन्न प्रमाण-पत्रों/डिग्रीयों में आवेदक/आवेदक के पिता/आवेदक की माता जी के नाम में अंतर हेतु शपथ-पत्र।	
ओआरए में यूजीसी-नेट प्रमाण-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गईं।	048

(02 उम्मीदवार)

शेष सभी आवेदनों को उनके छह माह या उससे अधिक के किसी अनुभव का दावा नहीं करने के कारण एलईसी (बढाए गए मानदण्ड में कमी) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया है।

(96 उम्मीदवार)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची सहित उनके अनुक्रमांक, आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>> भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड किए गए हैं।

<u>संकेतक :</u>

एलईक्यू - क(2) - अनिवार्य योग्यता-क(2) में कमी
एलईसी - बढाए गए मानदण्ड में कमी
ओआरए - ऑनलाइन भर्ती आवेदन
ईसी - अनुभव प्रमाण-पत्र

उप सचिव/सी/एचके